न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 34/2017

अनवान :

1. सुनिल पुत्र जुगलाल नाबालिग जरिये वली कुदरती माता बिमला देवी पत्नि जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. अनिल पुत्र जुगलाल नाबालिग जरिये वली माता बिमला देवी पत्नि जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

- सायलान

बनाम

1. जुगलाल पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. उप पंजीयक महोदय् तहसील भादरा।

- गैरसायलान

दरख्वास्त बाबत : अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री लिलाधर अग्रवाल : **प्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांकः** 13.08.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 जीजीएम के वर्तमान खाता सं0 51/51 के मु0नं0 52 का किला नं0 17, 18, 23, 24 की कुल किता 4 कुल क्षैत्रफल 1.012 है0 भूमि है व चक नं0 3 जीजीएम के वर्तमान खाता सं0 24/24 के मु0नं0 3 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 4 का किला नं0 1 , 10 ता 12, 19 ता 22 मु0नं0 8 का किला नं0 1 ता 15 कुल किला 48, कुल क्षेत्रफल 12.144 है0 शामिल खाते की कृषि भूमि है जिसमें गैरसायल सं0 1 का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गैरसायल सं0 1 को अपने पिता खेता से विरासत में मिली तथा खेता को अपने पिता पोकर से विरासत में मिली हुई है। उक्त कृषि भूमि सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें गैरसायल सं0 1 हिन्दू खानदान का कर्ता होने के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गया जिसका फायदा उठाकर के गैरसायल संख्या 1 उक्त भूमि को बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के केवल अपने शराब आदि व्यसनों को पूरा करने के लिए भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करना चाहता है। शराब के नशे में मारपीट कर सायलान को घर से निकाल रहा है व आवारा किस्म के लोगों की संगत में रहता है। जबकि उक्त कृषि भूमि में गैरसायल सं0 1 के साथ सायलान व दावा के प्रतिवादी सं 4 का जन्म से हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर निहित है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद तामील अप्रार्थी सं0 1 न्यायालय में उपस्थित नहीं आया इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गैरसायल सं0 1 को अपने पिता खेता से विरासत में मिली तथा खेता को अपने पिता पोकर से विरासत में मिली हुई है। कृषि भूमि सहदायिकी कृषि भूमि है। गैरसायल संख्या 1 कृषि भूमि को बिना किसी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पारिवारिक जायज जरूरत के रहन बैय व मुन्तकिल करना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने चक 1 व 3 जीजीएम के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि को बैय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थी बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आया है जिससे अप्रार्थी की मौन स्वीकृति होना प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह चक 1 जीजीएम के वर्तमान खाता सं0 51/51 के मु0नं0 52 का किला नं0 17, 18, 23, 24 की कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 है0 भूमि है व चक नं0 3 जीजीएम के वर्तमान खाता सं0 24/24 के मु0नं0 3 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 4 का किला नं0 1 , 10 ता 12, 19 ता 22 मु0नं0 8 का किला नं0 1 ता 15 कुल किला 48, कुल क्षेत्रफल 12.144 है0 कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ